आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

14.1.17

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

विविध अपील वाद सं0 – 08/2009–10
अंदर धारा 20(6)(i) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम

मो0 कलाम, फील्ड कोडिनेटर अपने–आप महिला वर्ल्ड वाइड, सा0–जगदीश मील परिसर, फारबिसगंज, पो0+थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया

बनाम

श्रीमती अंजु झा, पिता–श्री उपेन्द्र नाथ ठाकुर, वार्ड नं0 25, कुढ़ेली रोड, पो0+थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया

आदेश

प्रस्तुत अपील वाद आवेदक मो0 कलाम, फील्ड कोडिनेटर "अपने आप महिला वर्ल्ड वाइड", सा0–जगदीश मील परिसर फारबिसगंज, जिला–अररिया की ओर से वाद सं0 01/2008 अंदर धारा 20(3) मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.06.2009 से विक्षुब्ध होकर इस न्यायालय में अंदर धारा 20(6)(i) के तहत दिनांक 21.12.2009 को दाखिल किया गया। विलम्ब क्षांत हेतु Limititision Act की धारा 5 के तहत आवेदन भी दाखिल किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 08.01.2010 को विलम्ब क्षांत करते हुए इस वाद को विचारार्थ स्वीकृत करते हुए पक्षकारों को सूचना निर्गत की गई। विपक्षी की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल होने के पश्चात् उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को विस्तार से सुना गया।

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी श्रीमती अंजु झा ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 20(3) के तहत अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज के समक्ष दिनांक 20.05.2008 को बकाया मजदूरी की राशि 42,000.00 रू0 एवं उसकी छः गुणा क्षतिपूत्ति के रूप में कुल 4,62,000.00 रू0 का दावा श्रीमती टिंकु खन्ना, प्रोजेक्ट कोडिनेटर, अपने आप (ओमेन वर्ल्ड वाइड) के विरूद्ध दाखिल किया गया। प्रतिवादी का दावा है कि वह अपने आप (महिला वर्ल्ड वाइड) संस्था के नियंत्रण में चलाये जा रहे कस्तुरवा गाँधी आवासीय विद्यालय में वार्डन के पद पर नियुक्त की गई थी, जिसकी मासिक मजदूरी 6000.00 रूपये निर्धारित थी। परन्तु उन्हें मात्र 3000 रू0 दिये जाते थे एवं बार–बार आग्रह किये जाने पर भी उन्हें पूर्ण मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। इस प्रकार उक्त संस्था से मई 2007 से अप्रैल 2008 तक कुल 12 महिनों की बकाया राशि क्षतिपूर्त्ति सहित दावा किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज के समक्ष उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज

कराई। किन्तु अनुमंडल पदाधिकारी ने अपीलकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को बिना समुचित जाँच एवं बिना किसी ठोस आधार के विपक्षी श्रीमती अंजु झा के पक्ष में फैसला देते हुए अपीलकर्त्ता को 1,26,000.00 (एक लाख छब्बीस हजार) रूपया भुगतान करने का आदेश पारित किया।

इनका यह भी कहना है कि निम्न न्यायालय में अपीलकर्त्ता की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल कर अपना पक्ष रखा गया तथा दिनांक 17.02.2009 को उक्त मोकदमा दिनांक 28.02.2009 के लिये निर्धारित किया गया। परन्तु उसके बाद अभिलेख उपस्थापित नहीं किया गया एवं अचानक दिनांक 16.06.2009 को आदेश पारित कर दिया गया, जिसकी कोई जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं हुई। जब अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज का भुगतान संबंधी पत्र प्राप्त हुआ तब अपीलकर्त्ता को पारित आदेश दिनांक 16.06.2009 की जानकारी हुई। जिसके कारण विलम्ब से यह अपील विलम्ब को क्षांत करने हेतु धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत आवेदन के साथ इस न्यायालय में दाखिल किया गया। जो दिनांक 08.01.2010 को स्वीकृत किया जा चुका है तथा अपील विचारण के क्रम में मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना के पारित आदेश का अनुपालन करते हुए अपीलार्थी द्वारा 50,000.00 (पच्चास हजार) रूपया नाजिर रसीद द्वारा दिनांक 05.09. 2014 को इस न्यायालय में जमा कर दिया गया है। उनका कहना है कि प्रतिवादी श्रीमती अंजु झा को कभी भी वार्डन के पद पर नियुक्त नहीं किया गया था। उनके द्वारा वार्डन पद पर नियुक्ति संबंधी नियुक्ति पत्र न्यायालय में दाखिल नहीं किया जा सका है। प्रतिवादी का दावा है कि उसे कई बार ट्रेनिंग के लिये पटना एवं पूर्णियाँ भेजा गया, जिसमें उसे वार्डन के रूप में दिखाया गया है।

इनका यह भी कहना है कि विपक्षी अंजु झा अपने आप वूमेन वर्ल्ड वाइड के अन्तर्गत संचालित सिलाई सेंटर में कार्यरत थी एवं कस्तुरबा आवासीय विद्यालय में वार्डन का पद रिक्त था एवं संस्था द्वारा तत्काल श्रीमती झा को वार्डन का कार्य करने का जिम्मा दिया गया था तथा सहायक वार्डन के रूप में उन्हें 3000.00 रू0 प्रतिमाह भुगतान किया जाता रहा, जिसे इनके द्वारा प्रतिमाह प्राप्त किया गया। सहायक वार्डन का कोई मानदेय राशि सरकार द्वारा निर्धारित नहीं है। संस्था द्वारा वार्डन पद पर नियुक्त हेतु विज्ञप्ति दैनिक जागरण समाचार पत्र में दिसम्बर, 2008 में प्रकाशित कर 15 जनवरी, 2009 तक आवेदन मांगा गया था, तो श्रीमती झा को 2007 में वार्डन के पद पर कैसे नियुक्त किया जा सकता है, यह विचारणीय बिन्दु है तथा वार्डन पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक है। श्रीमती झा मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण है और ठीक से पढ़ना–लिखना भी नहीं जानती है और जिस विभागीय पत्र के आधार पर वार्डन के मानदेय राशि 6000.00 का दावा उनके द्वारा किया जा रहा है, वह पत्र वार्डन–सह–शिक्षिका का विधिवत नियुक्त कर्मी से संबंधित है। जो श्रीमती झा पर लागू नहीं होता है। क्योंकि वह विधिवत वार्डन के पद पर नियुक्त नहीं की गई थी। उनके

द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 20(3) के तहत जो वाद निम्न न्यायालय में दाखिल किया गया है वह कानूनन बाधित है। क्योंकि मात्र छः माह का ही बकाया मजदूरी का दावा किया जा सकता है, परन्तु विपक्षी द्वारा 12 माह का बकाया राशि का दावा किया गया है, जिसे अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज द्वारा इस कानूनी पहल पर विचार किये बिना ही क्षतिपूर्त्ति के साथ बकाया राशि के भुगतान का आदेश पारित किया गया है, जो विधि संगत नहीं है।

इनका यह भी कहना है कि अपीलकर्त्ता स्वयं उक्त संस्थान के कर्मचारी हैं एवं श्रीमती टिंकु खन्ना भी कर्मचारी है, परन्तु विपक्षी द्वारा निम्न न्यायालय में "अपने आप वर्ल्ड वाइड संस्था" को पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं कर्मचारी को ही न्यूनतम मजदूरी भुगतान करने का आदेश अनुमंडल पाधिकारी द्वारा दिया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। जबकि विपक्षी द्वारा भी अपने दावा के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः अपीलकर्त्ता विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज के पारित आदेश दिनांक 16.06.2009 को निरस्त करने का अनुरोध करते हैं।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बताया कि श्रीमती अंजू झा निम्न न्यायालय में आवेदिका है। दिनांक 30.04.2007 को अपने आप Women World Wide संस्था द्वारा संचालित कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालयय में वार्डन के पद पर नियुक्त की गई। यह नियुक्ति अपने आप Women World Wide संस्था के प्रोजेक्ट कोऑरडिनेटर टिंकु खन्ना एवं Founder President रूचिरा गुप्ता के द्वारा किया गया, जो नियोक्ता है तथा प्रतिवादी अंजू झा कार्यरत कर्मी हुई। इस प्रकार वार्डन का प्रतिमाह मानदेय 6000.00 रू0 बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के पत्रांक 6360, दिनांक 27.11.2007 द्वारा निर्धारित है, जो उन्हें देय है। माह मई, 2007 से फरवरी, 2008 तक कुल 10 माह का मानदेय मात्र 30,000.00 रू0 भुगतान किया गया जबकि वह राशि 60,000.00 रू0 होना चाहिये। पुनः मार्च, 2008 एवं अप्रैल, 2008 का कोई मानदेय इन्हें नहीं मिला। कम मानदेय मिलना एवं बकाया दो माह का मानदेय नहीं मिलने एवं विद्यालय का वातारण सही नहीं रहने के कारण इसकी शिकायत नियोक्ता रूचिरा गुप्ता से की गई। इसके प्रतिशोध में इन्हें मई, 2008 से कार्य से हटा दिया गया। इस प्रकार इनका कुल दावा 30,000 + 12,000 = 42000.00 रूपया हुआ। जिसके साथ 10 गुणा मुआवजा राशि जोड़कर मिलना चाहिये।

निम्न न्यायालय ने मात्र दो गुणा मुआवजा देते हुये 1 लाख 26 हजार रू0 का भुगतान करने का आदेश दिया। इसके विरूद्ध अपीलकर्त्ता ने इस वाद को न्यायालय में लाया।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (संशोधित) की धारा 20 के उपधारा 5A में प्रावधान है कि सुनवाई के समय न्यायालय नियोक्ता को दावे की राशि का 50 प्रतिशत राशि

जमा करने का निदेश दे सकती है, जो अपीलकर्त्ता को अंतिम आदेश के पश्चात समायोजन किया जायेगा।

जब इस न्यायालय द्वारा 50 प्रतिशत राशि मो0 63,000.00 रू0 जमा कराने का निदेश दिया गया तो अपीलकर्त्ता ने उस आदेश के विरूद्ध मान्नीय उच्च न्यायालय में सी0डब्लु0जे0सी0 सं0 19694/2012 दायर किया। उक्त रिट याचिका में मान्नीय उच्च न्यायालय ने निम्न न्यायालय के आदेश को बहाल रखा। पुनः उक्त पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने एल0पी0ए0 सं0 121/2013 दाखिल किया। इस एल0पी0ए0 की सुनवाई करते हुये मान्नीय उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय में 50,000.00 रू0 जमा कराने का आदेश दिया। जिसके अनुपालन में अपीलार्थी द्वारा उक्त राशि दिनांक 05.09.2014 को जमा कर दिया गया है।

इनका यह भी कहना है कि उत्तरवादी अंजु झा को उक्त संस्था व विद्यालय के द्वारा कार्यरत अवधि में ही बिहार शिक्षा परियोजना परिषद बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्रीनगर, पटना में आयोजित दो दिवसीय वार्डन प्रशिक्षण हेतु 21 एवं 22 नवम्बर 2007 को भेजी गयी थी एवं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के द्वारा उक्त प्रशिक्षण में भाग लेने के संबंध में प्रमाण–पत्र भी प्राप्त है।

यह कि इसी प्रकार पुनः अपने आप वुमेन वर्ल्ड वाईड संस्था, फारबिसगंज के द्वारा उत्तरवादी अंजु झा को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् काली बाड़ी रोड, गोविंदधम, भट्ठा बाजार, पूर्णियाँ में वार्डन के प्रशिक्षण हेतु 15 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण हेतु भेजा गया एवं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पूर्णियाँ के द्वारा 15 दिवसीय वार्डन प्रशिक्षण उपरांत प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ।

उत्तरवादी अंजु झा के द्वारा समर्पित बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पूर्णियाँ के संभाग प्रभारी के पत्रांक 45, दिनांक 04.02.2008 में स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित है कि कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय की वार्डन श्रीमती अंजु झा ने 15 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिनांक 21.01.2008 से 04.02.2008 तक प्राप्त किया।

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, बेल्ट्रॉन भवन, पटना के पत्रांक 6314, दिनांक 22.11.2007 जो सभी जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान को संबोधित है एवं K.G.B.V. के वार्डन/शिक्षिकाओं के प्रशिक्षणोपरांत विरमित करने के संबंध में है, में स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि K.G.B.V. की वार्डन/शिक्षिका का दो दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 21 एवं 22 नवम्बर, 2007 को सेवा केन्द्र कुर्जी, पटना में आयोजित किया गया, जिसमें वार्डन अंजु झा ने सफलतापूर्वक भाग लिया।

परन्तु श्रीमती टिंकू खन्ना के पत्र दिनांक 21.02.2008 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अंजु झा को सहायक वार्डन कस्तुरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय के रूप में सम्बोधित किया गया है। अपीलार्थी के द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि योग्य

वार्डन के नहीं रहने के कारण आवेदिका को केयर टेकर के रूप में रखा गया था। जिससे स्पष्ट है कि उत्तरवादी अंजु झा के वर्णित कार्यवधि में अपीलार्थी एवं उत्तरवादी के बीच इम्पलायर एवं इम्पलोई का संबंध था। उत्तरवादी के द्वारा कस्तुरवा गाँधी बालिका विद्यालय में आवेदन में वर्णित अवधि में वार्डन के पद पर कार्य किया गया है। अतः उक्त अवधि के वार्डन पद की मानदेय राशि मुआवजा सहित भुगतान करने का अनुरोध करते हैं।

उपरोक्त तर्कों, निम्न न्यायालय के अभिलेख तथा उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी श्रीमती अंजु झा को कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में मई, 2007 से अप्रैल, 2008 तक योग्य वार्डन के उपलब्ध नहीं रहने के कारण केयर टेकर के रूप में रखा गया था। ऐसी परिस्थिति में उक्त वर्णित अवधि का मानदेय 6000.00 रू0 प्रति माह की दर से उन्हें भुगतेय है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा उन्हें कुल भुगतेय राशि मो0 72000.00 रू0 के स्थान पर मात्र 30,000.00 रू0 का भुगतान किया गया है, जो कि भुगतेय राशि से 42,000.00 रू0 कम है। प्रतिवादी श्रीमती अंजू झा द्वारा वर्णित अवधि में वार्डन के पद पर नियुक्ति संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस तरह नियोक्ता द्वारा उन्हें वार्डन के पद पर नियुक्त नहीं किया गया है। वरन केयर टेकर के रूप में रखा गया। योग्य वार्डन की नियुक्ति हेतु नियोक्ता द्वारा विज्ञप्ति वर्ष 2008 में प्रकाशित किया गया है। श्रीमती अंजू झा मध्यमा उत्तीर्ण है। जबकि वार्डन पद पर नियुक्ति हेतु योग्यता स्नातक है। इस तरह ये "अपने आप वुमेन वर्ल्ड वाईड संस्था" में केयर टेकर वार्डन के रूप में कार्यरत थी तथा उक्त अवधि में बारह माह में इन्होंने केयर टेकर वार्डन के रूप में कार्य किया।

यद्यपि श्रीमती झा ने एक साल तक तीन हजार रूपया मानदेय पर कार्य किया एवं कभी इस पर विरोध दर्ज नहीं किया तथा 3000.00 रू0 मानदेय राशि प्राप्त करती रही, जिससे स्पष्ट होता है कि श्रीमती झा को अपने मानदेय के संबंध में कोई शिकायत नहीं थी। जब इन्हें वार्डन के पद पर नियुक्त नहीं किया गया तो विरोध स्वरूप उन्होंने इस वाद को लाया। इस प्रकार यह न्यूनतम मजदूरी से संबंधित मामला नहीं बनता हैं। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा वणित 12 माह की अवधि में मो0 6000.00 रू0 मानदेय जो निर्धारित किया गया है, उसे बहाल रखते हुए शेष भुगतेय राशि 42000.00 रू0 का भुगतान श्रीमती अंजू झा को करने का आदेश दिया जाता है। आवेदिका के क्षतिपूर्ति के दावे को निरस्त किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित,

ह0/—
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ह0/—
अपर समाहर्त्ता,
अररिया